(फोटोकॉपी) ①

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल,ग्वालियर केम्प भोपाल

(60)

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA सत्यमेव जयते बीस रुपये TWENTY RUPEES

अधिवक्ता श्री रामपाल यादव जिला-होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत। 25/08/18 A.S.

निगरानी – 5657/2018/बैतूल/भू.रा. रिवीजन कमांक–

माधवराव आ0 श्री पांडूरंग गावंडे आयु करीब 62 वर्ष

निवासी–हिवरखेड,तहसील मुलताई,

जिला बैतूल...पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

आयुक्त कार्यालय होशंगाबाद द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत। 28/8/18

1. उत्तम राव आयु करीब आ0 माधव राव गावंडे

निवासी अम्बडेकर वार्ड,मुलताई,तहसील मुलताई,जिला बैतूल

2. अशोक आ. माधव राव गावंडे

मनिकगढ सीमेन्ट फैक्ट्री गढ़,चादर

तहसील कोरपानी,जिला चन्द्रपुर

3. महादेव आ0 माधव राव गावंडे

निवासी हिबरखेड,तहसील मुलताई,जिला बैतूल ....उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.।

यह कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग,होशंगाबाद के अपील प्रकरण कमांक–211–212 /अपील/2017–18 में पारित दिनांक 28.06.2018 से व्यथित व परिवेदित होकर उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

यह कि ग्राम व मौजा हिबरखेड,तहसील मुलताई,जिला बैतूल स्थित सर्वे कमांक–438, रकवा 4.820 हे0 एवं खसरा नं0–520 रकबा 1.542 हे0, जुमला रकबा 6.362 हे0 भूमि जो राजस्व अभिलेख वर्ष 2014–15 में

R-5657/2018/बैतूल/Rev.

12-12-2018

आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित। आवेदकपक्ष व उनके अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई परंतु आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण आवेदकपक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अध्यक्ष

रीडर